संख्याः 1626 /87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊः दिनांकः 29 अक्टूबर, 2018**

विषयः- ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2018-19 में मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-2834/नेडा-ए-लेखा/शा.उप.प्रमा.पत्र-नान-प्लान/2018-19, दिनांक 29 अगस्त, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0 को आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत अभिकरण के प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु मद संख्या-20 में प्राविधानित धनराशि रू0 2,10,00,000/-की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1,05,00,000/-शासनादेश संख्या-798/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018, दिनांक 23 अप्रैल, 2018 द्वारा निर्गत की गयी थी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1,05,00,000/-(रू0 एक करोड़ पॉच लाख मात्र) को निम्नलिखित मदों पर व्यय करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0स0	मद का नाम	धनराशि (रूपये में)
1.	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1,00,00,000/-
2.	केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)	5,00,000/-
	योगः- (रूपया एक करोड़ पॉच लाख मात्र)	1,05,00,000/-

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/पी0ओ0एल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं.-वि.वि.-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 तथा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-70 में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखाशीर्षक-''2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर-101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम-03- विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत-0301-नान कन्वेंशनल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के लिये रू0 1,00,00,000/- तथा 0303-केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0- 5,00,000/-के नामे डाला जायेगा''।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या-ई-10-223/दस-2018, दिनांक 26-10-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांकः तदैव।</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in